

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 102] No. 102] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 11, 2017/फाल्गुन 20, 1938

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 11, 2017/PHALGUNA 20, 1938

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2017

सं. भा.आ.प.—12(1)/2016—मेड़ि. विविध / 175608.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में पुनः संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः

- 1. (i) इन विनियमों को "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (संशोधन) विनियमावली, 2017" कहा जाएगा।
 - (ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में इसमें दर्शाए गए अनुसार निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगाः
- 3. अनुसूची II में पॉइंट संख्या 7 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगाः

यदि संयुक्त राज्य अमरीका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में प्रदान की गई स्नातकोत्तर चिकित्सा शैक्षिक योग्यता वाला कोई व्यक्ति किसी मेडिकल कॉलेज में अध्यापन संबंधी नियुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक है, तो उसकी शैक्षिक योग्यता को भारत में मेडिकल कॉलेज में संबंधित विभाग में सहायक प्रोफेसर के लिए एम.डी./एम.एस/डी.एम./ एम.—सीएच., जैसा भी मामला हो, की समतुल्य शैक्षिक योग्यता के रूप में माना जा सकता है। इसके अलावा, पदोन्नतियां, चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, 1998 के अनुसार की जाएंगी।

डॉ. रीना नय्यर, सचिव (प्रभारी)

[विज्ञापन—III / 4 / असा. / 469 / 16 (100)]

1358 GI/2017 (1)

पाद टिप्पणीः प्रधान विनियमावली, नामतः "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 05 दिसंबर, 1998 भारत के राजपत्र के भाग—III खंड (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 16/03/2005, 21/07/2009, 28/10/2009, 15/12/2009, 03/11/2010, 04/11/2010, 08/07/2011, 11/06/2012, 06/08/2012.

MEDICAL COUNCIL OF INDIA AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2017

No. MCI-12(1)/2016-Med.Misc./175608.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", namely:—

- 1 (i) These Regulations may be called the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions (Amendment) Regulations, 2017."
 - (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", the following shall be **substituted** as indicated therein:—
- 3. In Schedule II, the following shall be substituted for point no. 7.

If a person with Postgraduate Medical Qualifications awarded in United States of America, United Kingdom, Canada, Australia & New Zealand desires to take up teaching appointments in a medical college, his/her qualification can be considered as equivalent qualification with MD/MS/DM/M.Ch., as the case may be, for the post of Assistant Professor in respective department in Medical College in India. Further, promotions would be as per Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998.

Dr. REENA NAYYAR, Secy. (I/c)

[ADVT.-III/4/Exty./469/16 (100)]

Foot Note: The Principal Regulations namely, "Minimum qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998" were published in Part-III, Section (4) of the Gazette of India on the 5th December, 1998, and amended vide MCI notifications dated 16.3.2005, 21.7.2009, 28.10.2009, 15.12..2009, 3.11.2010, 4.11.2010, 8.7.2011, 11th June, 2012, 6th August, 2012 & 20.4.2015.